

(दुर्घटना में घायलों/मृतकों के आश्रितों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि प्राप्त करने हेतु)
आवेदन पत्र

(आदेवक जिस तहसील/जिले का मूल निवासी है उसके तहसीलदार/जिला कलक्टर को आवेदन दो प्रति में प्रस्तुत किया जावें)
 (दुर्घटना में मृत एवं गम्भीर घायल होने की स्थिति में उनके आश्रित तथा घायल की स्थिति में पीड़ित स्वयं आवेदक होगें)

सेवामें,

श्रीमान जिला कलक्टर,
 आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, बांसवाड़ा

द्वारा :- तहसीलदारजिला बांसवाड़ा।

विषय :- राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के अन्तर्गत सहायता राशि दिलाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझे राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत नियमानुसार सहायता राशि स्वीकृत कराने का श्रम करावें। वांछित विवरण निम्नानुसार है।

1. प्रार्थी का नाम मय पिता का नाम :—
2. निवास का पता :—
3. घायल/गम्भीर घायल/मृतक का नाम :—
4. घायल/गम्भीर घायल/मृतक से संबंध :—
5. प्रार्थी की वार्षिक आय :— 6. दुर्घटना की दिनांक :— 6. दुर्घटना स्थल :—
7. दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण :—
.....
.....
.....

(वाहनों द्वारा घटित दुर्घटनाओं के प्रकरणों में वाहनों की पंजीयन संख्या का स्पष्ट उल्लेख करें)

—: : प्रमाणीकरण : :—

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मैं एवं मेरा परिवार मृतक पर पूर्णतया आश्रित थे। दुर्घटना से संबंधित निम्नांकित दस्तावेज इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं तथा प्रकरण के संबंध में मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत अन्यत्र कहीं से सहायता प्राप्त नहीं की है।

1. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यापित प्रति (मृत्यु के प्रकरण में)	5. मोका पर्चा (दुर्घटना स्थल)
2. मृत्यु प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति (मृत्यु के प्रकरण में)	6. पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति
3. प्रार्थी का मृतक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र (मृत्यु के प्रकरण में)	7. परिवार राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति
4. मेडिकल रिपोर्ट की प्रति (घायल/गम्भीर घायल के प्रकरण में)	8. बैंक पासबुक की प्रति

—: घायल/मृतक के मूल निवास के पटवार हल्का के पटवारी निरीक्षक की रिपोर्ट :—

प्रार्थी श्री/श्रीमती/सुश्री (प्रार्थी) पिता

निवासी द्वारा उनके (संबंध) श्री/श्रीमती/सुश्री

के दिनांक को (घटना स्थल) पर घटित घटना.....

..... (दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण) में.....

(घायल/गम्भीर घायल/मृत में से उपयुक्त प्रविष्ट अंकित करें) हो जाने से मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की वार्षिक आय है तथा प्रार्थी एवं अन्य (संख्या) सदस्य मृतक पर आश्रित थे। मुख्यमंत्री सहायता कोष के अन्तर्गत सहायता दिये जाने योग्य है तथा पूर्व में इस घटना के संबंध में सहायता हेतु कोई प्रकरण इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है।

प्रार्थी द्वारा उपर्युक्त क्रम संख्या,,,,,,,,,,, में वर्णित दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।

संलग्न :— दस्तावेज (दस्तावेज की संख्या शब्दों में अंकित करें।)

हस्ताक्षर पटवारी/निरीक्षक मय मोहर

—: : पावती : :—

प्रार्थी श्री/श्रीमती/सुश्री पिता द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत सहायता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राप्त कर तहसील कार्यालय में संधारित मुख्यमंत्री सहायता कोष पंजिका के क्रमांक 20 पर दर्ज किया गया।

दिनांक

हस्ताक्षर संबंधित लिपिक

कार्यालय तहसीलदार, जिला बांसवाड़ा

क्रमांक : सहायता / 2019 /

दिनांक :

निमित्त,

जिला कलक्टर महोदय,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, बांसवाड़ा।

विषय :— मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत प्राप्त प्रकरण प्रेषित करने बाबत।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता हेतु प्राप्त प्रकरण जो कि इस कार्यालय की मुख्यमंत्री सहायता कोष हेतु प्राप्त प्रकरणों की पंजिका के क्रम संख्या पर पंजीकृत है वास्ते स्वीकृति संलग्न प्रेषित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

1. प्रार्थी का नाम मय पिता का नाम :—
2. निवास का पता :—
3. घायल/गम्भीर घायल/मृतक का नाम :—
4. प्रार्थी का घायल/गम्भीर घायल/मृतका नाम :—
5. दुर्घटना की दिनांक :— 6. दुर्घटना स्थल :—
7. दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण :—

प्रस्तुत प्रकरण के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न कर दिये गये हैं तथा प्रार्थी के इस जिले का निवासी होने की पुष्टि स्वरूप पटवारी की रिपोर्ट इस प्रपत्र के पृष्ठ भाग पर निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर ली गई है :—

क्र.सं.	संलग्न दस्तावेज	संलग्न क्रमांक
1.	आवेदक का आवेदन पत्र	
2.	मृतक होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यापित छाया प्रति	
3.	घायल/गम्भीर घायल होने पर मेडिकल रिपोर्ट की सत्यापित छाया प्रति	
4.	पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यापित छाया प्रति	
5.	मृत्यु प्रमाण—पत्र की सत्यापित छाया प्रति	
6.	आवेदक के मृतक पर आश्रित होने का प्रमाण—पत्र/शपथ पत्र	
7.	मौका पर्चा (घटना स्थल)	
8.	परिवार के राशन कार्ड/भासाशाह कार्ड/आधार कार्ड की सत्यापित छाया प्रति	
9.	अन्य जिले में घटित दुर्घटना के स्थिति में संबंधित जिला कलक्टर द्वारा सहायता नहीं दिये जाने के प्रमाण स्वरूप जारी पत्र	
10.		

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावजों की वैधता की जांच कर ली गई है। मृतक/घायल के परिवार की आर्थिक स्थिति है। प्रार्थी मुख्यमंत्री सहायता कोष के नियमों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखता है/नहीं रखता है। अतः मैं श्री के मृत/घायल/गम्भीर घायल होने की दशा में प्रार्थी श्री/श्रीमती/सुश्री को नियमानुसार मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहातया प्रदान करने/नहीं करने की अनुशंसा के साथ प्रार्थी का आवेदन पत्र अग्रेषित करता हूँ। इस प्रकरण में पूर्व में सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है।

संलग्न :— दस्तावेज – 1 से तक

हस्ताक्षर तहसीलदार
मय मोहर

संलग्नकों पर उक्त सारणी के अनुसार क्रम संख्या अंकित करें एवं पत्र की प्रत्येक प्रविष्टि पूर्ण करें तथा जो लागू नहीं हो उसे काट दें

चैक लिस्ट

माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृति हेतु विवरण

1. घटना की दिनांक :—
2. घटना का स्थल :— ग्राम:—
तहसील जिला राज्य
3. घटना घटित होने का प्रकार :—
4. मृतक / घायल का नाम :— श्री पुत्र / पत्नि श्री
5. घटना का विवरण (सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज) :—
- (अ) प्रथम सूचना रिपोर्ट (ब) मृत्यु प्रमाण—पत्र (स) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट (द) चोट प्रतिवेदन (य) राशन कार्ड
6. मृतक / घायल का व्यवसाय :—
7. मृतक / घायल के परिवार की वार्षिक आय(प्रमाण—पत्र संलग्न है) :—
8. सम्पत्ति का विवरण कृषि भूमि सीधित / हैक्टर असिंधित है0 कुल भूमि है0....
9. मृतक / घायल राज्य कर्मचारी है या नहीं :—
10. परिवार के सदस्यों की संख्या :—
11. पूर्व में सहायता दी गई अथवा नहीं :—
12. सहायता देने का औचित्य :—
13. सहायता प्राप्त करने वाले का नाम व सम्बन्ध :—
14. मृतक / घायल शादीसुदा है अथवा नहीं :—
15. बी.पी.एल.चयनित है या नहीं :—
16. किसान केडिट कार्डधारी है या नहीं :—
17. प्रकरण अन्दर अवधि है या नहीं :—
18. सहायता स्वीकृत करने का प्रावधान मृतक को 50000/- गंभीर घायल को 10000/- एवं घटना दिनांक 18.02.2019 से मृतक को 1,00,000/- गंभीर घायल को 20,000/- माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से श्री की मृत्यु / घायल होने पर नियमानुसार राशि रु...../- अक्षरे रु. की आर्थिक सहायता स्वीकृति योग्य होने से स्वीकृत करने की अभिशंषा की जाती है।
19. मृतक आश्रित / घायल के आधार नम्बर भामाशाह कार्ड नम्बर
..... मोबाईल नम्बर बैंक का नाम
IFSC CODE बैंक खाता संख्या

तहसीलदार
पद मोहर / हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी
पद मोहर / हस्ताक्षर